राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3167–पीबीआर/2013 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 17–6–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, बाडी, जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 3/अ–12/2012–13.

राकेश राठी आ. बृजमोहनदास राठी
निवासी बरेली, तहसील बरेली
कृषक ग्राम दहलबाडा
तहसील बाडी जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– बैनीसिंह आ. गोकल प्रसाद कहार
2– हरीबाई विधवा हरगोविंद कहार
3– गोकल प्रसाद आ. नन्हेलाल कहार
4– कविन्द्र सिंह आ. भबूत सिंह किरार
सभी कृषक एवं निवासी ग्राम दहलबाडा
तहसील बाडी, जिला रायसेन
5– म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 30 मई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बाडी जिला रायसेन द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उभय पक्ष द्वारा अपनी–अपनी भूमियों का सीमांकन कराये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक बाडी, जिला रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए । तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष के आवेदन पत्र पर सीमांकन की कार्यवाही की जाकर दिनांक 17–6–2013 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा 3 सर्वे नम्बरों के सीमांकन हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र एवं चालान प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा तीनों आवेदन पत्र के संबंध में एक ही प्रकरण दर्ज कर अवैध सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन कार्यवाही करने में अनियमितता की गई है, इस संबंध में आवेदक द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई विचार नहीं किया गया । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सर्वे कमांक 22/1/2 के सीमांकन के संबंध में सूचना जारी की गई थी, परन्तु उक्त भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमियां एक–दूसरे के कब्जे में दर्शा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा सीमांकन के संबंध में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि वह अधीक्षक, भू–अभिलेख से सीमांकन कराना चाहता है परन्तु तहसीलदार द्वारा उनकी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया । उनके द्वारा विधिवत टीम बनाकर सीमांकन कराने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा विधिवत सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, और उनके साथ सीमांकन शुल्क चालन से अदा कर चालान की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । अंत में कहा गया कि उभय पक्ष द्वारा 2 सर्वे नम्बरों का सीमांकन चाहा गया था, और उन्हीं का सीमांकन तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत प्रकरण कमांक 3/अ–12/2012–13 दर्ज कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जबकि विहित प्रकिया के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सर्वप्रथम प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए तत्पश्चात सीमांकन दल गठित कर सीमांकन कार्यवाही कराकर सीमांकन आदेश पारित करना चाहिए । अतः तहसील न्यायालय का आदेश विहित प्रकिया का पालन नहीं करने के कारण इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त जब आवेदक द्वारा सीमांकन के समय इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि वह अधीक्षक, भू–अभिलेख से सीमांकन कराना चाहता है, तब न्यायहित में तहसील न्यायालय को विधिवत सीमांकन दल गठित कर सीमांकन कार्यवाही कराना चाहिए थी । इस प्रकार इस प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से भी तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बाडी, रायसेन द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17–6–2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विधिवत सीमांकन कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर